लोक/राज्य सभा के पटल पर रखने के लिए

प्रमाणीकृत

(इन्द्रजीत सिंह)
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय
तथा राज्य मंत्री कारपोरेट कार्य मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 की संस्तुतियों पर

कार्रवाई रिपोर्ट

वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) की वार्षिक रिपोर्ट में निहित संस्तुतियों/टिप्पणियों/निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भ पैरा सं.	संक्षिप्त में संस्तुतियां/टिप्पणियां/निर्णय	स्वीकृत किया गया या अस्वीकृत किया गया	यदि स्वीकृत किया गया तो की गई कार्रवाई और यदि अस्वीकृत किया गया तो इसके कारण
वर्तमान में जारी एनएसएस सर्वेक्षणों के क्षेत्रीय कार्य की स्थति और उनके भविष्य की योजना			
2.4 घ	यह परामर्श भी दिया गया कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऐसे क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, जिनका गणना कार्य 70% से 90% तक अधूरा है, से परिणामों/ अनुमान प्राप्त करने के लिए कार्यनीति बना सकता है। सर्वेक्षण की अवधि कम करने और साथ ही साथ बहु-सर्वेक्षणों को करने की व्यवहारिकता की जांच करने के प्रयास जारी रखे जाएंगे।	स्वीकृत	एनएसएस उप-दौरा वार कुछ मुख्य सारणियां तैयार करने की संभावनाएं तलाश रहा है और जिन्हें आंतरिक रूप से जांचा जाएगा । निष्कर्षों के आधार पर, उप-दौरा वार अंतरिम सारणियाँ प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। प्रतिक्रिया का समय कम करने के लिए सर्वेक्षण अनुसूचियां तैयार की जा रही है। व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (सीएएमएस) के माध्यम से सर्वेक्षण के एक मॉड्यूलर दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है जिसमें विभिन्न ब्लॉक अलग-अलग संबंधित मंत्रालयों/ विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।
एनएसएस 79वें दौर (जनवरी-दिसम्बर,2021) के लिए सर्वेक्षण विषयों को अंतिम रूप देना – प्रस्ताव और संस्तुतियां			
2.6&2.7	2.6 दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को आयोजित एनएससी की 115वीं बैठक के दौरान, एनएसएसओ (एसडीआरडी) ने एनएसएस 79 वें दौर के विषय और कवरेज पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। एनएसएस के 79 वें दौर में निम्नलिखित सर्वेक्षण संचालित किए जाने प्रस्तावित थे: (क) व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण(सीएएमएस) - यह व्यवहार्य स्तर तक विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं को पूरा करेगा।		

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भ पैरा सं.	संक्षिप्त में संस्तुतियां/टिप्पणियां/निर्णय	स्वीकृत किया गया या अस्वीकृत किया गया	यदि स्वीकृत किया गया तो की गई कार्रवाई और यदि अस्वीकृत किया गया तो इसके कारण
	(ख) भारत में जनजातियों के जीवन-यापन की शर्तों और अन्य संबंधित पहलूओं पर सर्वेक्षण (ग) आयुष संबंधी सर्वेक्षण 2.7 एनएसएस 79 वें दौर पर विस्तृत चर्चा के बाद, आयोग ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ एनएसएस के 79 वें दौर में संचालित किए जाने वाले तीन प्रस्तावित सर्वेक्षणों की संस्तुति की:		
	(क) एनएसएस ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से सर्वेक्षण के लिए परिभाषा, डाटा आवश्यकताओं आदि सहित ब्यौरे को अंतिम रूप दे।	क) स्वीकृत	क) कार्य समूह की संस्तुति के अनुसार,प्रायोगिक जनजातीय सर्वेक्षण के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
	(ख) व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण का संचालन इस बात को ध्यान में रखकर किया जाए कि सर्वेक्षण मेंउन डाटा का संग्रहण जिन्हे अन्य डाटा स्रोतों यथा प्रशासनिक स्रोतों के माध्यम से संग्रहित किए जा रहे हैं, या जिसे प्रॉक्सी डाटा के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है, को शामिल नहीं किया जाता हो ताकि प्रयासों और स्रोतों की आवृत्ति को कम किया जा सके। सर्वेक्षण को न्यूनतम प्रयासों के साथ किया जाए ताकि अधिकतम परिणाम प्राप्त किए जा सकें।	ख) स्वीकृत	ख) एनएसएस के 79वें दौर में सीएएमएस शुरू किया जाएगा जिसके लिए संबंधित कार्य समूह के साथ परामर्श करके सर्वेक्षण उपकरण को अंतिम रूप दिया गया है। इसे सहमति के लिए एनएससी के समक्ष रखा गया और एनएससी द्वारा इसकी 120वीं बैठक में की गई संस्तुतियों के अनुसार सर्वेक्षण उपकरणों को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है। सर्वेक्षण में डाटा एकत्रित किया जाएगा जो केवल उन मानदंडों के अनुमान तैयार करने के लिए आवश्यक है जिनके लिए संबंधित मंत्रालयों ने सर्वेक्षण के संचालन हेतु एनएसएस से अनुरोध किया।

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भ पैरा सं.	संक्षिप्त में संस्तुतियां/टिप्पणियां/निर्णय	स्वीकृत किया गया या अस्वीकृत किया गया	यदि स्वीकृत किया गया तो की गई कार्रवाई और यदि अस्वीकृत किया गया तो इसके कारण
	(ग) संबंधित मंत्रालयों की आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक दौर के दौरान विभिन्न सर्वेक्षण मॉड्यूल किए जा सकते हैं। सर्वेक्षण की आधारभूत विशेषता में परिवर्तन किए बिना मॉड्यूल जोड़े या हटाए जा सकते हैं। ऐसे मॉड्यूल सर्वेक्षण न केवल संसाधनों की लागत को कम करेंगे बल्कि एक ही समय पर एक से अधिक प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को एक साथ पूरा कर सकेंगे।	ग) स्वीकृत	ग) एनएसएसके 79वें दौर में सीएएमएस के माध्यम से सर्वेक्षण के एक मॉड्यूलर दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है जिसमें विभिन्न ब्लॉक अलग-अलग मंत्रालयों/ विभागों की आवश्यकता को पूरा करेंगे।
	(घ) डॉ किरण पांड्या, सदस्य, एनएससी की अध्यक्षता में और समिति के सदस्यों के रूप में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक समिति गठित की जाए ताकि सर्वेक्षण का भार कम करने के लिए आंकड़ों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर विचार विमर्श किया जा सके। समिति अपने गठन के तीन सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।	घ) स्वीकृत	घ) मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन दिनांक 11-02-2021 के आदेश सं. एफ-23015/6/2021-पीआईएमडी द्वारा किया गया और इसकी पहली बैठक डॉ. किरण पांड्या, सदस्य, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) की अध्यक्षता में 15 अप्रैल, 2021 को आयोजित की गई थी। बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई इस प्रकार है: • मेटा डाटा और रजिस्ट्री प्रारूप: मेटा डाटा और रजिस्ट्रियों के लिए मसौदा टेम्प्लेट 17 मई, 2021 को इनपुट/टिप्पणियों के लिए आईएमसी के सदस्यों को परिचालित किए गए थे। प्राप्त इनपुट को शामिल किया गया और वेबफार्म को विकसित किया गया । इसके बारे में विवरण प्रदान करने के लिए इसे आगे मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किया जाएगा।

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भ पैरा सं.	संक्षिप्त में संस्तुतियां/टिप्पणियां/निर्णय	स्वीकृत किया गया या अस्वीकृत किया गया	यदि स्वीकृत किया गया तो की गई कार्रवाई और यदि अस्वीकृत किया गया तो इसके कारण
			• मौजूदा प्रशासनिकडेटा का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग क्या होगा, का विस्तृत अध्ययन करने के लिए दो क्षेत्रों को अभिज्ञात किया जाना : शिक्षा क्षेत्र (शिक्षा मंत्रालय) और स्वास्थ्य क्षेत्र (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) के लिए पब्लिक डोमेन में उपलब्ध डाटा के संबंध में मसौदा रिपोर्ट तैयार की गई है। • समिति के कार्यकाल को फरवरी, 2022 तक आगे बढा दिया गया है।
	(ड) चूंकि आयुष दवाइयां/ सेवाएं लेने वाले परिवारों की संख्या अधिक नहीं होगी, अत: सर्वेक्षण के माध्यम से कैप्चर किए गए प्रतिदर्श परिवारों की संख्या कम हो सकती है, जिसकी वजह से संभवतः अनुमानों में भारी त्रुटि हो सकती है। इस सर्वेक्षण का संचालन इस शर्त पर किया जाए कि राज्य स्तरीय अनुमानों का संचालन व्यवहार्य नहीं होगा। इस पहलू पर आयुष मंत्रालय से पैरामर्श किया जा सकता है।	ड) स्वीकृत	ड) आयुष मंत्रालय से एनएसएस एमओएसपीआई द्वारा परामर्श किया गया है और उन्होनें राज्य-स्तरीय अनुमान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। तदनुसार,कार्यकारी समूह के साथ विचार-विमर्श करके यह निर्णय लिया गया है कि अखिल भारतीय अनुमानों के अतिरिक्त राज्य-स्तरीय अनुमान तैयार करने के लिए चार अलग उप-दौरों में 12 माह की अवधि हेतु आयुष सर्वेक्षण का संचालन किया जाएगा। उपरोक्त निर्णय एनएससी की 120वीं बैठक में रखा गया था।
घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण 2017-18 के परिणाम			
2.10	मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) ने आयोग से नीति अनुसंधान के लिए एनएसओ घरेलू उपभोक्ता व्यय		

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भ पैरा सं.	संक्षिप्त में संस्तुतियां/टिप्पणियां/निर्णय	स्वीकृत किया गया या अस्वीकृत किया गया	यदि स्वीकृत किया गया तो की गई कार्रवाई और यदि अस्वीकृत किया गया तो इसके कारण
	सर्वेक्षण 2017-18 के परिणाम जारी करने का अनुरोध किया है जिसके साथ अंतर यदि कोई है, जिन पर डेटाबेस का प्रयोग करते हुए अनुसंधान संबंधी निष्कर्षों की व्याख्या करने के दौरान विचार किए जाने की आवश्यकता है, को उजागर करते हुए एक व्याख्यात्मक नोट भी होना चाहिए।		
2.11	इस मामले पर विस्तृत चर्चा करने के बाद, आयोग ने सुझाव दिया कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इस मामले पर अध्यक्ष, एनएससी की अध्यक्षता के अंतर्गत एक समिति का गठन करे । इस समिति के अन्य सदस्य डॉ. जी. सी. मन्ना, पूर्व महानिदेशक(एनएसएस) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा यथा प्रस्तावित एनएसएस के कुछ अन्य अधिकारी होंगे। इस समिति को अपने गठन के 2 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी ।	अस्वीकृत	समिति के गठन पर एनएससी की संस्तुति को निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत किया गया है : '' अध्यक्ष, एनएससी की अध्यक्षता में डॉ. मन्ना, सदस्य, एनएससी, डीजी (एनएसएस) और एनएसएस से उनके एक या दो नामिति के रूप में अन्य सदस्यों के साथ एक और समिति का गठन स्पष्ट रूप से इस प्रकार की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति प्रतीत होता है, जब डॉ. मन्ना, सदस्य, एनएससी, डीजी (एनएसएस) और एनएसएस अधिकारियों से उनके नामितियों ने पहले ही इस मामले पर बहुत विस्तार से विचार-विमर्श किया था और डॉ मन्ना समिति की सिफारिशों पर 15 जनवरी, 2020 को आयोजित एनएससी की बैठक में अनुकूल रूप से विचार किया गया था। इसके अलावा, यह उल्लेख किया गया था कि डॉ मन्ना समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित टिप्पणियों/कमियों का पहले समाधान किया जाना है और एनएसएस उन पर कार्य कर रहा था।''

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भ पैरा सं.	संक्षिप्त में संस्तुतियां/टिप्पणियां/निर्णय	स्वीकृत किया गया या अस्वीकृत किया गया	यदि स्वीकृत किया गया तो की गई कार्रवाई और यदि अस्वीकृत किया गया तो इसके कारण
			उपरोक्त निर्णय एनएससी की 116वीं बैठक में रखा गया था। तदनुसार, डॉक्टर मन्ना समिति की संस्तुति के अनुसार, इसकी 118वीं बैठक में एनएससी की सहमति से आगामी घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के सर्वेक्षण उपकरणों में शोधन किए गए हैं।
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के संकेतक 8.3.1 के अनुरूप अनुमानों के सृजन पर एनएससी का मूल्यांकन			
2.14	इस मामले पर विस्तृत चर्चा के बाद, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने सुझाव दिया कि अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण कार्य में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। सर्वेक्षणों के लिए प्रतिदर्श आकार भी बढ़ाया जा सकता है ताकि सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की बेहतर समझ को सुगम बनाया जा सके।	स्वीकृत	एनएसएस सर्वेक्षणों में,आंकड़ों के प्रसंस्करण में लगने वाले समय को कम करने और तैयार आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु सभी प्रयास किए जा रहे हैं। एनएसओ डिजिटल प्रारूप में डाटा के ऑनलाइन एकत्रीकरण और तेजी से सत्यापन तथा डाटा के प्रसंस्करण को सुगम बनाने के लिए अब एक एप्लीकेशन तैयार कर रहा है और तदनुसार, तीन सर्वेक्षण नामतः आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), अनिगमित उद्यमों पर वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) एवं उद्योगों पर वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) ऑनलाइन प्लेटफार्म पर शुरू किए गए हैं। उप राज्य स्तर पर सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के एनएसएस अनुमानों के लिए प्रतिदर्श आकार के निर्धारण हेतु सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रो. टी.जे. राव की अध्यक्षता

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भ पैरा सं.	संक्षिप्त में संस्तुतियां/टिप्पणियां/निर्णय	स्वीकृत किया गया या अस्वीकृत किया गया	यदि स्वीकृत किया गया तो की गई कार्रवाई और यदि अस्वीकृत किया गया तो इसके कारण
			में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत की थी, जो मंत्रालय में विचाराधीन है।
आर्थिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) में हाल के परिवर्तनों पर एनएससी का मूल्यांकन			
2.17	मामले पर विस्तृत चर्चा के बाद, आयोग ने सुझाव दिया कि नए खंडों और प्रश्नों को जोड़ते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि साक्षात्कार का समय बढ़ाया नहीं गया है क्योंकि इससे उत्तरदाताओं को परेशानी होगी। आयोग ने आगे सिफारिश की कि उत्तरदाताओं का समय 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए।	स्वीकृत	केवल अत्यावश्यक मदें एकत्रित की जा रही हैं और कोई और अतिरिक्त मद,जब तक कि अत्यंत आवश्यक ना हो,शामिल नहीं की जा रही है ।
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आधार पर प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों के मासिक अनुमान तैयार करने की व्यवहार्यता पर चर्चा			
2.21	इस मामले पर आयोग ने अपनी टिप्पणियां दीं जिन्हे नीचे संक्षेप में दिया गया है: क) सदस्य, एनएससी ने सुझाव दिया कि सर्वेक्षण के परिणामों की वैधता स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण आधारित अनुमानों की प्रशासनिक आंकड़ों के साथ तुलना करने की आवश्यकता है। ख) सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के संबंधित प्रभाग, प्रशासनिक और सर्वेक्षण दोनों के आंकड़ों में सुधार के लिए	स्वीकृत	(क) और (ख) एनएससी की संस्तुतियों पर, डॉ किरण पाण्ड्या, सदस्य, एनएससी की अध्यक्षता में दिनांक 11.02.2021 को एक समिति गठित की गई है, जिसका उद्देश्य सर्वेक्षण भार को कम करने के लिए संभावित वैकल्पिक प्रशासनिक आंकड़ा स्रोतों की पहचान करना है। समिति संबंधित मंत्रालयों / राज्य सरकारों दोनों में प्रशासनिक आंकड़ा स्रोतों की पहचान करेगी और तत्पश्चात भारत में सरकारी सांख्यिकी में

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भ पैरा सं.	संक्षिप्त में संस्तुतियां/टिप्पणियां/निर्णय	स्वीकृत किया गया या अस्वीकृत किया गया	यदि स्वीकृत किया गया तो की गई कार्रवाई और यदि अस्वीकृत किया गया तो इसके कारण
	संबंधित मंत्रालयों के साथ निरंतर समन्वय कर सकते हैं। घ) सदस्य, एनएससी ने सुझाव दिया कि पीएलएफएस पर मासिक अनुमान निकालने से पहले तिमाही अनुमानों की तुलना सुनिश्चित की जानी चाहिए।	-	प्रशासनिक आंकड़ों के उपयोग को संभव बनाने के लिए संस्थागत ढांचे का सुझाव देगी। समिति वैकल्पिक आंकड़ा स्रोतों को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण उपकरणों को विकसित करने हेतु दिशा निर्देश भी निर्धारित करेगी। उपरोक्त निर्णय सचिव स्तर पर अनुमोदन से लिया गया । घ) एनएससी की 118वीं बैठक में, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पर आधारित प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों के मासिक अनुमानों को तैयार करने के संबंध में, सचिव का मत था कि पीएलएफएस एक नया वार्षिक सर्वेक्षण है, और इसकी गुणवत्ता सामान्यतया अच्छी समझी जाती है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के लिए किसी नई गतिविधि का संचालन करने की बजाए क्षेत्र-कार्य की पूर्णता और तिमाही परिणामों को जारी करने के बीच समय अंतराल को कम करने, तथा इस प्रक्रिया को सुदृढ़ और स्थिर करने, से संबंधी कार्य करना महत्वपूर्ण है।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यू (सीएटीआई) और कंप्यूटर असिस्टेड वेब इंटरव्यू (सीएडब्ल्यूआई) जैसे सर्वेक्षणके उन्नत तरीकों की शुरुआत पर चर्चा			
2.23& 2.24	2.23 एनएससी की 116वीं बैठक के दौरान, एनएसओ (डीक्यूएडी) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यू (सीएटीआई) और		

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भ पैरा सं.	संक्षिप्त में संस्तुतियां/टिप्पणियां/निर्णय	स्वीकृत किया गया या अस्वीकृत किया गया	यदि स्वीकृत किया गया तो की गई कार्रवाई और यदि अस्वीकृत किया गया तो इसके कारण
	कंप्यूटर असिस्टेड वेब इंटरव्यू (सीएडब्ल्यूआई) जैसे सर्वेक्षणों के उन्नत तरीकों की शुरूआत पर आयोग के समक्ष एक प्रस्तुति दी। सीएपीआई, सीएटीआई और सीएडब्लयू के लाभों के साथ-साथ सर्वेक्षणों में उनकी सीमाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। 2.24 इस विषय पर विस्तृत चर्चा के बाद आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की: क) आयोग ने सर्वेक्षण के उन्नत तरीकों को शुरू करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की, जो कि लागत प्रभावी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह राय दी कि उपयोगी होते हुए भी ऐसे उपकरणों का प्रयोग सावधानी के साथ किया जाए। इस तरह की प्रणालियों को पूर्ण रूप से अपनाने से पहले प्रायोगिक परीक्षण आदि किया जाए। ख) आयोग ने पाया कि सीएटीआई/ सीएडब्ल्यूआई में प्रतिक्रिया दर आमतौर पर बहुत कम है और उत्तरदाताओं से स्वैच्छिक प्रतिक्रियाओं के कारण परिवारों/व्यक्तियों का प्रतिदर्श न तो यादृच्छिक और न ही प्रतिनिधिपरक हो सकता है। इस प्रकार अनुमान विश्वसनीयता और वैधता के मुद्दों के अधीन हो सकते हैं। साथ ही ऐसी प्रक्रियाओं के साथ गैर-प्रतिक्रियाओं के लिए प्रतिदर्श आकार को पर्याप्त रूप से व्यापक रखने की	स्वीकृत	क),ख) और ग) जैसा कि सुझाव दिया गया है, भारतीय परिस्थितियों में इन तरीकों को अपनाने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए और अधिक विचार-विमर्श की आवश्यकता है ।

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भ पैरा सं.	संक्षिप्त में संस्तुतियां/टिप्पणियां/निर्णय	स्वीकृत किया गया या अस्वीकृत किया गया	यदि स्वीकृत किया गया तो की गई कार्रवाई और यदि अस्वीकृत किया गया तो इसके कारण
	आवश्यकता होती है। ग) सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सुझाव दिया कि चूंकि यह एक नई पहल है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अधिक विचार-विमर्श और रचनात्मक सोच जरूरी है। घ) आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि 79वें दौर के प्रचार के दौरान उत्तरदाताओं से वेब सुविधा की उपलब्धता, मोबाइल नं. और फोन/ईमेल पर सर्वेक्षण करने की इच्छा का पता लगाया जाना चाहिए।	स्वीकृत	घ)सूचक के मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ई-मेल आईडी की जानकारी प्राप्त करने के लिए एनएसएस 79वें दौर की सीएएमएस अनुसूची में प्रावधान रखा गया है। साथ ही, वेब सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए परिवारों की सम्मति भी एकत्रित की जाएगी।
सामाजिक ऑडिट प्रायोगिक परियोजना पर प्रस्तुति			
2.28	मामले पर विस्तृत चर्चा के बाद, एनएससी ने सिफारिश कीथी कि आईएसआई के प्रस्ताव को वित्तीय सहायता की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए तदनुसार नीति आयोग को अग्रेषित किया जाएगा। जब परियोजना को मंजूरी मिल जाती है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय /नीति आयोग इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए राज्य सरकारों से आवश्यक सहायता की सुविधा प्रदान करेगा।	स्वीकृत	दिनांक 16.02.2021 के ईमेल के माध्यम से एनएसएस द्वारा आईएसआई के साथ आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की गई और तदनुसार दिनांक 23.02.2021 के ई-मेल के माध्यम से आईएसआई द्वारा सीईओ नीति को सामाजिक ऑडिट परियोजना से संबंधित तकनीकी प्रस्ताव, वित्तीय प्रस्ताव आदि सहित सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात, नीति आयोग ने " सर्वेक्षण प्रतिदर्श और विश्लेषण लागू करके सामाजिक ऑडिट" पर अनुसंधान अध्ययन के संचालन के लिए आईएसआई को नामित किया है ।
2.29	एनएससी की 115वीं बैठक के दौरान सामाजिक ऑडिट परियोजना की स्थिति का पता लगाने के दौरान यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित		

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भ पैरा सं.	संक्षिप्त में संस्तुतियां/टिप्पणियां/निर्णय	स्वीकृत किया गया या अस्वीकृत किया गया	यदि स्वीकृत किया गया तो की गई कार्रवाई और यदि अस्वीकृत किया गया तो इसके कारण
	सामाजिक ऑडिट परियोजना को इसके बाद एनएसएस द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा । तब फिर से एनएससी की 116वीं बैठक के दौरान, एनएससी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एनएससी की ओर से डॉ. किरण पाण्डया, सदस्य, एनएससी, महानिदेशक (एनएसएस) द्वारा प्रतिनियुक्त एक अधिकारी के साथ, इस परियोजना पर नीति आयोग के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे।		
भारतीय संदर्भ में सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (जीडीकेपी) के विकास की अवधारणा का पता लगाने पर संकल्पना नोट			
3.2& 3.3	3.2 नीति आयोग ने संकल्पना नोट पर एक प्रस्तुति दी और एनएससी को निम्नलिखित से अवगत कराया गया: क) उपाध्यक्ष, नीति आयोग की अध्यक्षता में जीडीकेपी इंडिया काउंसिल का गठन किया जाएगा। ख) कार्य समूह का गठन वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों और विषय वस्तु विशेषज्ञों के साथ किया जाएगा। ग) प्रो अम्बर्टो सुलपासो, राजदूत (सेवानिवृत्त), के पी फैबियन, राजदूत (सेवानिवृत्त), बालकृष्ण शेट्टी, श्री आशीष कुमार, पूर्व महानिदेशक, सीएसओ एवं श्री. राम कामराजू के साथ कोर ग्रुप का गठन किया गया है। घ) सचिवालय सहायता प्रदान करने के लिए जीडीकेपी इंडिया प्रकोष्ठ बनाया गया है।		

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भ पैरा सं.	संक्षिप्त में संस्तुतियां/टिप्पणियां/निर्णय	स्वीकृत किया गया या अस्वीकृत किया गया	यदि स्वीकृत किया गया तो की गई कार्रवाई और यदि अस्वीकृत किया गया तो इसके कारण
	3.3 मामले पर विस्तृत चर्चा के बाद, आयोग ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ की: क) सदस्य, एनएससी ने बताया कि संकल्पना नोट डेटा कैप्चर करने और जीडीकेपी की गणना के लिए कार्यप्रणाली उपलब्ध नहीं करवाता है। इस प्रक्रिया के लिए न केवल ज्ञान मानकों की पहचान की आवश्यकता है बल्कि मापदंडों में बदलाव की भी आवश्यकता है, जिससे परिणाम की वास्तविक स्थिति प्रतिबिंबित होगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने इंगित किया कि डेटा कैप्चर करने के लिए वैकल्पिक डेटा स्त्रोतों को भी बताने कि जरूरत है। समग्र अवधारणा में बहुत अधिक व्यक्तिपरकता है तथा इसे और अधिक विस्तार की आवश्यकता है। ख) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि अवधारणा पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद ऐसे संकेतक के रूप में कार्य करेगा जो सकल घरेलू उत्पाद उपाय का अनुपूरक होगा, लेकिन यह इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं कर पाया कि कल्याण को मापने में यह,सकल घरेलू उत्पाद का पूरक कैसे होगा, जो वह विशिष्ट उद्देश्य है जिसकी नीति निर्माण में सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद द्वारा अपेक्षा की जाती है। ग) सदस्य, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने बताया कि सकल घरेलू उत्पाद पर ज्ञान प्रसार के प्रभाव को	स्वीकृत	**3.3 (क) से (झ) तक**: उपाध्यक्ष ने दिनांक 06.08.2021 को एनएससी की संस्तुति पर हुई प्रगति की समीक्षा की । संकल्पना नोट पर एनएससी द्वारा उठाये गए मुद्दों पर हुई प्रगति पर समग्र रूप से विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि परियोजना को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। अत: इस विषय मद के अंतर्गत अनुशंसा को रद्द किया जा सकता है।

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भ पैरा सं.	संक्षिप्त में संस्तुतियां/टिप्पणियां/निर्णय	स्वीकृत किया गया या अस्वीकृत किया गया	यदि स्वीकृत किया गया तो की गई कार्रवाई और यदि अस्वीकृत किया गया तो इसके कारण
	निर्धारित करने के लिए सही प्रकार के ज्ञान संकेतक कि पहचान होना बहुत आवश्यक है। साइबर स्पेस कैसे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करेगा, के संबंध में जानकारी उपयोगी होगी। घ) सदस्य, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का विचार है कि ज्ञान और ज्ञान उत्पादकों के पारिभाषिक पहलू जो कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद कि अवधारणा का मूल है, पर चर्चा करने की आवश्यकता है। अवधारणाओं का मानकीकरण जैसे अन्य विषयों पर,विशेषतः सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद से सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के आकलन की अंतर्देशीय तुलना के लिए, भारतीय संदर्भ में डेटा अंतराल समेत प्रणाली संबंधी मुद्दे यदि कोई, और अंतिम आउटपुट के उपयोग को अधिक विचार-विमर्श की आवश्यकता हो सकती है। ड.) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद के मापन संरचना को एस.एन.ए.2008, जो कि देश के राष्ट्रीय लेखों की गणना करने के लिए मार्गदर्शक ढांचा है, के समान व्यापक दस्तावेज़ कि जरूरत होगी । सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद के लिए डेटा आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता है और ऐसी स्थिति में धारणा आधारित सर्वेक्षण आयोजित किए जाने होंगे। सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद का एक भाग पहले से ही सकल घरेलू उत्पाद में कैप्चर किया जा रहा है। यद्यपि		

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भ पैरा सं.	संक्षिप्त में संस्तुतियां/टिप्पणियां/निर्णय	स्वीकृत किया गया या अस्वीकृत किया गया	यदि स्वीकृत किया गया तो की गई कार्रवाई और यदि अस्वीकृत किया गया तो इसके कारण
	सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ा सकता है लेकिन सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद के एकीकरण को एक उचित प्रणाली की आवश्यकता होगी। च) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का विचार है कि प्रोफ. सलपासो द्वारा स्थापित गणितीय और प्रणाली संबंधी संस्थान अस्पष्ट हैं और अविभक्त हैं। छ) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद जो मापता है, वह सकल घरेलू उत्पाद के एक उपवर्ग के समान माना जा सकता है। इसे पर्यटन के सैटेलाइट अकाउंट की तरह एक सैटेलाइट अकाउंट के रूप में विकसित किया जा सकता है। जैसा कि पर्यटन भी अंतर्राष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण के अंतर्गत एक गतिविधि नहीं है लेकिन यह विभिन्न उद्योगों का एक संग्रह है जिसके द्वारा वे पर्यटन क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देते हैं। अन्य क्षेत्रों जैसा कि नागर विमानन, स्वास्थ्य, इत्यादि के साथ भी ऐसी ही स्थिति है। इसका अधिकार संबन्धित मंत्रालय के पास है। ज) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का मत था कि तकनीक और प्रतिभा-युक्त सभी व्यापक बदलावों को ध्यान में रखते हुए सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद की		

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भ पैरा सं.	संक्षिप्त में संस्तुतियां/टिप्पणियां/निर्णय	स्वीकृत किया गया या अस्वीकृत किया गया	यदि स्वीकृत किया गया तो की गई कार्रवाई और यदि अस्वीकृत किया गया तो इसके कारण
	अनुकूलता का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। इस दिशा में, नीति ने पहले से ही एक कार्य-दल गठित किया हुआ है। इसके परिचालनात्मक भाग को आगे बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि ज्ञान कि परिभाषा को भी निश्चित रूप दिया जाए। इसके अलावा, परिभाषाएँ, संकेतक, कार्यप्रणालियाँ, पहुँच इत्यादि सहित अन्य परिवर्ती कारकों को भी वैश्विक स्वीकार्य मानदंडों के अनुसार मानकीकृत होने कि आवश्यकता है अन्यथा यह प्रयोग देशों के बीच में तुलनीय नहीं होगा। झ) आयोग ने अवधारणा कि सराहना करते हुए कहा कि दो मैट्रिक्स नामतः, ज्ञान उत्पादक मैट्रिक्स तथा ज्ञान उपयोगकर्ताओं मैट्रिक्स के कॉलम और पंक्तियाँ को विशेष रूप से पारिभाषित करनेकी आवश्यकता है। तत्पश्चात, मैट्रिक्स में प्रत्येक सेल के लिए अपेक्षित डेटा तथा उसके संग्रह की विधि को समझने की आवश्यकता है, जो कि चुनौतीपूर्ण होगी।		
3.4	जैसा कि नीति आयोग विषय संबंधी विशेषज्ञों को नियुक्त करेगा, इसलिए आयोग ने यह निर्णय लिया है कि श्री पुलक घोष, सदस्य, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग, श्री ज्योतिर्मय पोद्दार, पूर्व महानिदेशक- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कुछ अधिकारी, भारतीय	उपरोक्त पैरा 3.3 पर लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं है।	लागू नहीं ।

वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भ पैरा सं.	संक्षिप्त में संस्तुतियां/टिप्पणियां/निर्णय	स्वीकृत किया गया या अस्वीकृत किया गया	यदि स्वीकृत किया गया तो की गई कार्रवाई और यदि अस्वीकृत किया गया तो इसके कारण
	सांख्यिकी संस्थान से एक अकादमिक सदस्य तथा सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा यथा अनुशंसित इस क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञ नीति आयोग द्वारा गठित कार्य समूह में सहयोजित किए जाएंगे।		

***